



171

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू-रा / 2017 /

I / निगरानी / टीकमगढ़ / 3/8/2017 / 2521

श्री राजनी अश्विनी शर्मा

आज दि 3/8/17 को

प्रस्तुत

3/8/17
न्यायालय मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

नन्हेंभैया तनय श्री भगवानदास यादव

निवासी ग्राम बिहार, ब्लॉक जतारा,
तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
मध्यप्रदेश

----- आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

----- अनावेदक

3/8/17

R-V
3/8/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध नामांतरण पंजी कमांक 9 आदेश दिनांक निल पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार दिगौड़ा तहसील, जिला टीकमगढ़ के रा0 प्र0क0 4/अ-6 अ/04-05 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

निगरानी आवेदन-पत्र जानकारी दिनांक से अंदर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 521 रकवा 1.878 एवं खसरा नम्बर 56/3 रकवा 0.145 हैक्टेयर भूमि आवेदक का कब्जा वर्ष 1982-83 से लगभग 25 वर्षों से चला आ रहा है। वर्तमान में भी आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है। सभी राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम उक्त भूमि दर्ज है

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2521

नन्हेंभैया विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार दिगौडा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4/अ-6अ/2004-05 में पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका</p>	


18/1/19



के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

hpr
(आर.के. जैन) 18.11.19
सदस्य